

कार्ययोजना प्रारूप 2011-2015

डीएफआईडी भारत

अक्टूबर 2011

विषयसूची	
भाग 1: भूमिका	1
भाग 2: संदर्भ	2
भाग 3: विज्ञान	3
भाग 4: मुख्य परिणाम	4-6
भाग 5: डिलीवरी एवं संसाधन	7-8
भाग 6: धन का कुशलतम उपयोग (वीएफएम) सुनिश्चित करना	9
भाग 7: निगरानी व मूल्यांकन	10
भाग 8: पारदर्शिता	11

1. भूमिका

ब्रिटेन की सरकार दुनिया भर में फैली अवसरों की असमानता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि वैश्विक खुशहाली को बढ़ावा देना न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि इससे ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित भी सधते हैं। सहायता देना हमेशा किसी उद्देश्य का साधन होता है, ये अपने आप में लक्ष्य नहीं होता। अगर लोगों के पास संपदा होगी और लगातार तरक्की करेंगे तो वे खुद अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल लेंगे।

मई 2010 में अंतर्राष्ट्रीय विकास सचिव एंड्रयू मिशेल ने द्विपक्षीय सहायता समीक्षा (बाइलेटरल एड रिव्यू) का आदेश दिया था ताकि उन देशों का समग्र रूप से और व्यापक जायजा लिया जा सके जहां डीएफआईडी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यक्रमों के जरिए काम कर रहा है। समीक्षा में इस बात पर ध्यान दिया गया कि भीषण गरीबी को दूर करने के लिए ब्रिटेन के सामने सबसे अच्छे तरीके क्या हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम जो खर्चा करते हैं उसके एक-एक पाउंड का ज्यादा से ज्यादा असर पड़े। इसके साथ ही डीएफआईडी ने बहुपक्षीय सहायता समीक्षा के जरिए इस बात का भी आकलन किया कि हम जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अनुदान देते हैं वे गरीबी को खत्म करने में कितनी कारगर रही हैं।

1 मार्च 2011 को इन समीक्षाओं के मुख्य नतीजों का ऐलान किया गया। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया गया कि अगले चार साल के दौरान दुनिया के सबसे निर्धन समुदायों पर ब्रिटेन की सहायता के क्या परिणाम पड़ेंगे। द्विपक्षीय सहायता समीक्षा ने कुछ देशों में सहायता कार्यक्रम का फोकस नए सिरे से तय किया है ताकि हम अपनी सहायता वहां केंद्रित कर सकें जहां वह सबसे ज्यादा फर्क ला सकती है और जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुपक्षीय सहायता समीक्षा के नतीजों से हमें ऐसे असरदार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज्यादा पैसा लगाने का मौका मिला है जो ब्रिटेन की विकास प्राथमिकताओं को साकार करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा स्वतंत्र स्तर पर किए गए ह्यूमेनिटेरियन इमरजेंसी रिस्पांस रिव्यू में इस बात का लेखा-जोखा लिया गया कि निष्पक्षतापूर्वक मानवतावादी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता से हम किस तरह लाभ उठा सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की आपदा से निपटने की कोशिशें ज्यादा बेहतर तैयारी पर आधारित और ज्यादा समन्वित हों।

डीएफआईडी पारदर्शिता के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी की भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है। मौजूदा आर्थिक परिवेश में हमारे सामने ये साबित करने का विशेष दायित्व है कि हम विकास की मद में ब्रिटेन के करदाताओं द्वारा चुकाए गए एक-एक पाउंड का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं, वह सब कुछ परिणाम, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे ध्येयवाक्यों से संचालित है। ब्रिटेन के नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए डीएफआईडी पारदर्शिता को सबसे बुनियादी मूल्य मानता है। डीएफआईडी का मानना है कि जिन देशों में हम काम कर रहे हैं वहां के नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्धता आवश्यक है। पारदर्शिता से हमें अपने कार्यक्रमों में एक-एक पैसे का ज्यादा बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी और गरीबी को दूर करने में हमारी सहायता ज्यादा असरदार हो पाएगी।

यूके एड ट्रांसपैरेंसी गारंटी के माध्यम से डीएफआईडी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम अपनी सहायता गतिविधियों को ब्रिटेन तथा विकासशील देशों, दोनों जगह पूरी तरह नागरिकों के प्रति पारदर्शी रखें। प्रस्तुत कार्ययोजना में इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारा विज्ञान, प्राथमिकताएं व अपेक्षित नतीजे क्या होंगे।

हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को हासिल करने, गरीब देशों में संपदा पैदा करने, वहां अभिशासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने और वायुमंडलीय परिवर्तन की रोकथाम व सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। इसके बदले में हमें जो पुरस्कार मिलने वाला है वह बहुत बड़ा है : लाखों लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी और एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा समृद्धशाली दुनिया।

2. संदर्भ

भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति और ब्रिटेन का एक मुख्य साझेदार है। प्रधानमंत्री कैमरॉन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिटेन और भारत की साझेदारी को और गति व गहराई प्रदान करने पर अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं। भारत आज दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2010 में भारत की विकास दर 9.4 प्रतिशत थी जो कि काफी तेज है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है और यहां मध्य आयु 26 वर्ष है। राष्ट्रमंडल समूह में यह एक प्रमुख आवाज है और संयुक्त राष्ट्र व जी-20 समुदाय में उसका असर साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। एक स्थिर और खुशहाल भारत ब्रिटेन के लिए बहुत सारे फायदों का जरिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह ब्रिटेन की वस्तुओं व सेवाओं का एक फलता हुआ बाजार है। ब्रिटेन में निवेश करने वाले भारतीय व्यवसायों से यहां नौकरियां व आय पैदा होती है। साथ ही, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत जो भी फौसले लेगा वे दुनिया भर में वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए बहुत मायने रखते हैं।

समावेशी वृद्धि और विकास भारत सरकार की सबसे ऊंची प्राथमिकता हैं। भारत सरकार के पास शक्तिशाली पंचवर्षीय योजनाओं की एक व्यवस्था है जो भारत में सभी विकास संबंधी निवेशों को एक दूरगामी दिशा प्रदान करती है। मौजूदा 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताएं तय की गई हैं : समावेशी विकास, एक प्रखर निजी क्षेत्र के अनुकूल सुधार, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच, बुनियादी ढांचा, पर्यावरणीय स्थायित्व, वंचित समूहों पर विशेष ध्यान, और सभी स्तरों पर उत्तम अभिशासन। 2009 में भारत ने अपने बजट का 30 प्रतिशत स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास व खाद्य सहायता पर निवेश किया था। भारत सरकार कई 'केंद्र प्रायोजित योजनाएं' चला रही है जो विकास के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। इन योजनाओं के तहत होने वाला खर्चा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शिक्षा पर होने वाला कुल सार्वजनिक व्यय 2003 से अब तक दोगुना (2003-04 में 11 अरब पाउंड से बढ़कर 2008-09 में 23 अरब पाउंड) हो चुका है। इसी तरह 2004 से अब तक स्वास्थ्य पर होने वाला कुल व्यय भी दोगुना (2004-05 में 5 अरब पाउंड से बढ़कर 2008-09 में लगभग 11 अरब पाउंड) हो चुका है।

भारत में गरीबी घटती जा रही है। अब यहां प्रति व्यक्ति आय 1340 डॉलर प्रतिवर्ष पर पहुंच गई है। 1.25 डॉलर प्रतिदिन से कम स्तर पर जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है (2005 में 45.5 करोड़)। इसके बावजूद, दुनिया के एक तिहाई गरीब आज भी भारत में हैं। यह संख्या उपसहारा अफ्रीका के सारे गरीबों की संख्या से भी ज्यादा बड़ी है। यहां की औसत आय चीन की औसत आय से एक तिहाई है। 55 करोड़ से ज्यादा लोग स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं और 40 करोड़ लोगों के पास आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच नहीं है। इसके बावजूद भारत को मिलने वाली कुल सहायता महज 1.50 डॉलर प्रति व्यक्ति बैठती है (जबकि उपसहारा अफ्रीका के देशों में यही सहायता 28 डॉलर प्रति व्यक्ति है)।

भारत के राज्यों के बीच भारी असमानताएं हैं। दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में खुशहाली बढ़ रही है। भारत के 65 प्रतिशत गरीब 8 राज्यों में बसते हैं - बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में गरीबी पर अंकुश लगाना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के मामले में वैश्विक सफलता पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास एक केंद्रीय प्राथमिकता है। इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का भारी अभाव है और उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी इतने रोजगार अवसर पैदा नहीं कर पा रही हैं कि वे करोड़ों लोगों को गरीबी की गर्त से बाहर निकाल सकें; भारत में आने वाली विदेशी निजी पूंजी का बहुत थोड़ा अनुपात ही इन अर्थव्यवस्थाओं में गया है। मूलभूत सेवाओं तक बेहतर पहुंच का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है - खासतौर से महिलाओं और लड़कियों के लिए। समाज के सबसे निर्धन लोग आधी-अधूरी शिक्षा, कम उम्र में विवाह (आधी आबादी की शादी 18 साल से पहले हो जाती है); समय से पहले व जल्दी-जल्दी प्रसव; कुपोषण; पानी व स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के चक्र में फंसे रह जाते हैं। यह चक्र दादी/नानी से मां और बेटे तक यथावत चलता रहता है, टूटता नहीं। जेंडर, जाति, नृजातीयता एवं धार्मिक आधारों पर होने वाला भेदभाव चिंता का एक गहरा मसला है।

वैश्विक विकास संबंधी मुद्दों के मामले में भारत एक उभरता महत्वपूर्ण पक्ष है - चाहे सवाल वायुमंडलीय परिवर्तन का हो, व्यापार का हो या खाद्य सुरक्षा का हो, भारत की आवाज लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान काफी ज्यादा रहा है। भारत न केवल अपने क्षेत्र में विकास की संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है बल्कि अफ्रीका में भी उसकी उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है।

3. विज़न

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, गरीबी घटती जाएगी और वैश्विक मामलों में भारत का महत्व बढ़ता जाएगा। लिहाजा, भारत के साथ हमारी विकास साझेदारी लगातार मजबूत होनी चाहिए। अगले चार सालों के दौरान हमारे **दीर्घकालिक उद्देश्य** ये रहेंगे:

- 1. भारत के कम आय वाले राज्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा** – ब्रिटेन की सहायता-रणनीति भारत के उन गरीब राज्यों पर ध्यान देगी जहां विकास की रफ्तार अभी भी गरीबी पर निर्णायक प्रहार नहीं कर पाई है। ब्रिटेन की सहायता उन गहरी और लाभदायक साझेदारियों पर आधारित है जो हमने पिछले एक दशक के दौरान अल्प-आय राज्यों में बनायी हैं।
- 2. एक करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं व लड़कियों की जिंदगी में खुशहाली लाना**– ब्रिटेन लड़कियों की शिक्षा में निवेश करेगा, आर्थिक साधनों तक पहुंच, कौशल निर्माण व अल्पकार्बन ऊर्जा विकल्पों में निवेश करेगा; सुरक्षित प्रसव, स्वेच्छापूर्वक प्रसव व महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम पर जोर देगा; बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण; व स्वच्छता पर निवेश करेगा।
- 3. गरीबी दूर करने में निजी क्षेत्र की संभावनाओं को पुष्ट करेगा**– गरीब राज्यों में ज्यादा समावेशी व तीव्र विकास को मदद देने के लिए ब्रिटेन छोटे व मध्यम उद्यमों (एसएमई), कृषि व्यवसायों, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, वित्तीय सेवाओं जैसे उन क्षेत्रों में गरीब-हितैषी निजी निवेश को बढ़ावा देने का एक नया कार्यक्रम विकसित करेगा जो क्षेत्र अल्प-आय राज्यों में गरीबों के एक बहुत बड़े तबके को सीधे लाभ पहुंचाते हैं।
- 4. ऐसे वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ अपने संबंधों को गहराई प्रदान करना जो अन्य क्षेत्रों के गरीबों के लिए भी लाभदायी हो सकते हैं**– जैसे विकास और व्यापार, वायुमंडलीय परिवर्तन, संसाधनों का अभाव, स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण।

परिवर्तन का हमारा सिद्धांत ये है कि (क) अगर महिलाओं व लड़कियों को सीधे संपदा, अवसर व आधारभूत सेवाएं मुहैया करायी जाएं तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहने वाला गरीबी का चक्र टूट सकता है; (ख) अल्प-आय राज्यों को निवेश सहायता और वहां व्यवसाय जगत के लिए बेहतर माहौल बनाने से गरीबों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। हमारा मानना है कि निजी क्षेत्र द्वारा होने वाले निवेश एक व्यावसायिक और विकास संबंधी आधार रेखा को हासिल कर सकते हैं – अगर डीएफआईडी दूसरे पूंजी निवेशकों के साथ काम करता है तो वह निजी निवेश के प्रवाह को बढ़ा सकता है जिससे रोजगारों में इजाफा होगा, नए बाजार पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में जो रुकावटें बनी हुई हैं वे टूटेंगी; (ग) यूके भारतीय साझेदारों के साथ काम करके सबसे ज्यादा प्रभावी योगदान दे सकता है। इसके लिए प्रायोगिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और नई पद्धतियों के बारे में विश्वसनीय साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं।

यह योजना ब्रिटिश सरकार की व्यापक प्राथमिकताओं के पूरी तरह अनुकूल है। ब्रिटेन से आने वाली सहायता बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, शिक्षा व कौशल विकास की ब्रिटेन/भारत प्राथमिकताओं में योगदान देगी। डीएफआईडी व्यापार व वायुमंडलीय परिवर्तनों और ऊर्जा संबंधी हमारी संयुक्त इकाइयों व शोध व शिक्षा संबंधी संयुक्त नेटवर्कों के जरिए यूके सरकार के दूसरे विभागों के साथ एक साझा पद्धति से काम करना जारी रखेगा। 2012 के बाद डीएफआईडी ब्रिटिश हाई कमिशन में स्थित होगा जिससे इस साझेदारी को और जीवंत बनाया जा सकेगा।

इस विज़न को साकार करने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय सरकार की केंद्र प्रयोजित योजनाओं में बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने की पद्धति छोड़कर हम भारत के गरीब राज्यों पर और गंभीरता से जोर दें। इन बदलावों से गरीब-हितैषी निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने के लिए काफी संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे।

4. मुख्य परिणाम

बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के साथ अपनी राज्यस्तरीय साझेदारियों के जरिए ब्रिटेन टोस नतीजे पेश करेगा। इसके अलावा हम पश्चिम बंगाल में अपना तकनीकी सहयोग भी जारी रखेंगे। हमारा निवेश व संपदा सृजन पोर्टफोलियो, नागर समाज संबंधी योजनाएं व शैक्षिक सहायता अल्प आय राज्यों के एक बड़े समूह को लाभ पहुंचाएगी (देखें पृष्ठ 2)। हम राष्ट्रीय व परियोजना संबंधी आंकड़ों व सूचनाओं का उपयोग करके अपने परिणामों का आकलन व रिपोर्टिंग करेंगे। जहां संभव होगा वहां हम स्वतंत्र स्रोतों से भी आंकड़े जुटाएंगे। नीचे ऐसे नतीजों के बारे में बताया गया है जिनको डीएफआईडी के समर्थन का योगदान माना जा सकता है।

स्तंभ/रणनीतिक प्राथमिकता	प्राथमिकता संकेतक	बेस लाइन (वर्ष सहित)	अपेक्षित परिणाम (वर्ष सहित)
1. संपदा अध्ययन	बचत, ऋण, बीमा के रूप में कितने अधिक लोगों तक पहुंचा गया; डीएफआईडी सहायता के फलस्वरूप इक्विटी व ऋण गारंटी के जरिए कितनी फर्मों तक पहुंचा गया (आठों अल्प आय राज्यों में)	0 व्यक्ति (2011)	2011-2015 के बीच 30 लाख लोग जिनमें से 21 लाख महिलाएं होंगी।
2. संपदा सृजन	बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए पीपीपी समझौतों की संख्या (आठों अल्प आय राज्यों में)	0 (2011)	35 समझौते 2011 से 2015 के बीच
3. निम्न कार्बन ऊर्जा तक पहुंच	निम्न कार्बन ऊर्जा (जैसे कम ईंधन की खपत करने वाले स्टोव, सौर लालटेन) तक पहुंच वाले अतिरिक्त लोगों की संख्या (आठों अल्प आय राज्यों में)	0 (2012)	2011-15 के बीच 39 लाख लोग
4. स्वास्थ्य	नर्सों, दाइयों व डाक्टरों की मदद से हुए प्रसवों की संख्या (बिहार, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में)	25 लाख (2011)	2011-2015 के बीच 4.47,000 प्रसव (2014/15 में इस तरह के कुल 31 लाख प्रसवों में से इस हिस्से को सीधे डीएफआईडी सहायता का परिणाम माना जा सकता है और 2011-2015 के बीच इस तरह के प्रसवों की संख्या 1.39 करोड़ होगी)

मुख्य परिणाम


स्तंभ/रणनीतिक प्राथमिकता	प्राथमिकता संकेतक	बेस लाइन (वर्ष सहित)	अपेक्षित परिणाम (वर्ष सहित)
5. पोषण	पोषण कार्यक्रमों के तहत पांच वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चों तक पहुंचा गया (बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा)	86 लाख (2011)	2011 से 2014/15 के बीच 39 लाख बच्चे (2014/15 में ऐसे बच्चों की संख्या 1.73 करोड़ होगी जिनमें से उपरोक्त हिस्से को डीएफआईडी की सहायता का परिणाम माना जा सकता है)।
6. पानी एवं स्वच्छता	बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक टिकाऊ पहुंच वाले लोगों की संख्या (बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा)	2.6 करोड़ (2009)	2014/15 में 58 लाख लोग (2014/15 में ऐसे 4.2 करोड़ लोगों की संख्या में यह संख्या डीएफआईडी सहायता का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा सकती है)
7. स्कूली शिक्षा (उम्र 6-16)	प्राथमिक शिक्षा में दाखिले के लिए डीएफआईडी द्वारा सहायता प्राप्त लड़कों व लड़कियों की संख्या (उम्र 6-14 साल) माध्यमिक स्कूलों में डीएफआईडी की सहायता से दाखिला लेने वाली लड़कियों व लड़कों की संख्या (उम्र 15-16 साल)	2010 में 18.5 करोड़ 2.82 करोड़ (2008), 1.23 करोड़ लड़कियां	15 लाख बच्चे, जिनमें 7.3 लाख लड़कियां होंगी। (2012/13 में जब प्रारंभिक शिक्षा के लिए डीएफआईडी अनुदान कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उस समय सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में दाखिल सारे बच्चों में से यह संख्या डीएफआईडी मदद का परिणाम मानी जा सकती है) 8 लाख विद्यार्थी, जिनमें से 3 लाख लड़कियां होंगी (2014/15 में इस तरह के बच्चों की संख्या 3.14 करोड़ होगी जिनमें से उपरोक्त संख्या को डीएफआईडी की मदद का परिणाम माना जा सकता है)
8. अभिशासन	ऐसी महिलाओं व पुरुषों की संख्या जिनको अपने विकास के संबंध में फैसला लेने और निर्णय लेने वालों की जवाबदेही मांगने के लिए सहायता दी गई (8 अल्प आय राज्यों में)	40 लाख (2011), 27 लाख महिलाएं	2011-2014 के बीच 1.6 करोड़ अतिरिक्त लोग जिनमें से 93 लाख महिलाएं होंगी।

4. परिणाम (साक्ष्य)

साक्ष्यों को पुष्ट करने वाले परिणाम

इस योजना में स्थानीय स्तर पर प्राप्त किए गए साक्ष्य और व्यापक शोध दस्तावेजों, दोनों का सहारा लिया गया है। नीचे हमने साक्ष्यों (यानी ऐसे प्रयास जिनका दक्षिण एशिया में असर साबित हो चुका है) की सापेक्ष विश्वसनीयता और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रयास को लागू करने के संबंध में डीएफडीआई इंडिया की समझ, दोनों का आकलन किया है। जो चीजें कारगर नहीं लेकिन जिनके बारे में साक्ष्य सीमित हैं – जैसे पोषण व्यवहार परिवर्तन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में गरीबों को मिले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ – उनके बारे में हमने अनुसंधानों व प्रभाव आकलन अध्ययनों पर ज्यादा जोर दिया है। उल्लेखनीय साक्ष्यों – खासतौर से मूलभूत सेवाओं की डिलीवरी और महिलाओं व लड़कियों की स्थिति में सुधार की स्थिति – के आधार पर यह योजना न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीख-सिखाव में उल्लेखनीय योगदान देगी। हमारी निवेश पद्धति के क्रियान्वयन से संबंधित साक्ष्यों को भी इकट्ठा किया जाएगा ताकि दूसरे डीएफआईडी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लाभ मिल सकें। इस योजना को नए कार्यक्रमों के लिए बिजनेस केसेज में रूपांतरित करके काम करते हुए हम साक्ष्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन मुहैया कराएंगे, प्राथमिक अध्ययनों, विश्लेषण आधारित साक्ष्यों व अन्य एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्टों के बीच फर्क चिन्हित करेंगे। हम भारत से संबंधित समृद्ध साक्ष्यों और सांख्यिकीय स्रोतों का प्रयोग करके प्रगति आख्या के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए और गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे।

प्राथमिक शिक्षा	■
स्वास्थ्य	■
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार	■
जल व स्वच्छता	■
माइक्रोफाइनेंस	■
वायुमंडलीय परिवर्तन	■
सशक्तिकरण	■



शिक्षक शिक्षा	■
पोषण	■
निवेश वातावरण एवं सार्वजनिक निजी सहभागिता	■
माध्यमिक शिक्षा	■
बाजारों तक पहुंच	■
कौशल	■
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा	■

5. डिलीवरी एवं संसाधन

हमारे सहायता कार्यक्रम भारत की बदलती परिस्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटिश अनुदान यहां ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभा सकें। जो परंपरागत अनुदान पद्धतियां अतीत में कारगर और विविधतापूर्ण साबित हो चुकी हैं (स्वीकृत गतिविधियों के लिए व्ययपूर्ति संबंधी परियोजना अनुदान, प्रदर्शन लक्ष्यों से जुड़ी क्षेत्रवार बजटीय सहायता, तकनीकी सहयोग सेवाओं के लिए अनुबंध) उन्हें हम जारी रखेंगे। हम वित्तपोषण के ऐसे अभिनव रूपों का इस्तेमाल करेंगे जो सीधे नागरिकों के हाथों में क्रयशक्ति सौंपने से संबंधित हैं (गरीबी केंद्रित वाउचर एवं उत्प्रेरक योजनाएं आदि), क्रियान्वयन साझेदारों को परिणामों की डिलीवरी के लिए भुगतान करेंगे और निजी परोपकारी स्रोतों से मैचिंग अनुदान जुटाने पर जोर देंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में हम संरचनाबद्ध नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग से अधिकाधिक लाभ हासिल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि अतीत में ये हमारे सबसे असरदार कार्यक्रम साबित हो चुके हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव आकलन पद्धति का उपयोग करेंगे जिससे करके सीखने का मौका मिले।

गरीब-हितैषी निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से संबंधित हमारा नया कार्यक्रम न केवल अनुदान बल्कि वापस करने योग्य पूंजी भी मुहैया कराएगा। हम निवेश प्रवाहों को प्रोत्साहन देंगे, व्यावसायिक रूप से प्रभावशाली अवधारणाओं को जांच-परख कर और बड़े पैमाने पर लागू करेंगे तथा सामाजिक उद्यमशीलता को सुगम बनाएंगे। गरीबी की रोकथाम के लिए उपयोगी क्षेत्रों (जैसे बुनियादी ढांचा, कृषि व्यवसाय, कौशल, ऊर्जा, किफायती आवास) में पैसा मुहैया कराने के अलावा हम अपने राज्यस्तरीय साझेदारों को अपनी विशेषज्ञता का योगदान भी देंगे जिससे वे समावेशी आर्थिक विकास के लिए योजना बना सकें और व्यवसाय के लिए शक्तिशाली सुगम वातावरण गढ़ सकें। हम माइक्रोफाइनेंस के लिए अपनी सहायता और बढ़ाएंगे तथा सार्वजनिक/निजी साझेदारियों में मदद देंगे। ऐसा करते हुए हम लघु उद्योग विकास बैंक, भारत (सिडबी) तथा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य संस्थानों सहित नाना प्रकार के साझेदारों के साथ काम करेंगे। ब्रिटेन का नीतिगत संवाद और व्यावहारिक साझेदारियां सरकारी, निजी, गैर-सरकारी और दाता संगठनों तक फैली हुई हैं और हम इस गहराई व विविधता को और पुष्ट करेंगे। हमारी साझेदारी रणनीति का मकसद भारत के बढ़ते फाइनेंस को और पुष्ट करना तथा नई प्रयोग-क्षमता को बढ़ाना है जिससे विकास को गति मिले। हम इस योजना की अवधि में निम्नलिखित पांच प्रमुख संबंधों पर जोर देंगे:

- **राज्य सरकारों** को मदद देना ताकि वे अपनी विकास योजनाओं को साकार कर सकें, खासतौर से मूलभूत सेवाओं के सुदृढीकरण और व्यवसाय जगत के लिए अनुकूल निवेश वातावरण विकसित करने में।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, वायुमंडलीय परिवर्तन और विकास प्रभावोत्पादकता के क्षेत्रों में **भारत सरकार** के साथ ठोस नीतिगत संवाद को बनाए रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में भी चर्चा को और गहराई प्रदान की जाएगी जहां भारत का वैश्विक विकास-प्रभाव और उपस्थिति पुष्ट हो रही हो, जैसे व्यापार, औषधियां तक पहुंच और तीसरी दुनिया के देशों से संबंधित विकास केंद्रित संवाद।
- **निजी क्षेत्र** के साथ नई साझेदारियों का सूत्रपात करना ताकि निवेश, व्यावसायिक गतिविधियों व आर्थिक अवसरों को बल मिले, संस्थागत निवेशकों व मध्यस्थों के साथ काम किया जाए, बुनियादी ढांचे और उद्यम विकास संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों, लघु व मझौले उद्यमों और छोटे उद्यमियों के साथ काम किया जा सके।
- ऐसे **अन्य बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एवं निजी दाताओं** की खूबियों से सीखना और उनसे लाभ उठाना जो ब्रिटेन की पद्धति के अनुकूल हैं या हमारे साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकते हैं।
- सेवाओं की डिलीवरी, साक्ष्य आधारित शोध व प्रसार, विकास संबंधी बहसों में योगदान, नए प्रयोगों की आजमाइश और निर्धनतम लोगों तक पहुंचने के लिए **नागर समाज व थिंक टैंक्स** के साथ काम करना।

5. डिलीवरी एवं संसाधन

स्तंभ/रणनीतिक प्राथमिकता	2011/12		2012/13		2013/14		2014/15		कुल	
	संसाधन	पूंजी	संसाधन	पूंजी	संसाधन	पूंजी	संसाधन	पूंजी	संसाधन	पूंजी
	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000	£'000
संपदा सृजन	21,300	2,700	29,700	33,300	39,500	71,500	48,000	92,000	140,400	200,600
ऊर्जा तक पहुंच/विद्युत क्षेत्र सुधार	5,200	0	9,500	0	17,000	0	16,000	0	47,900	0
अभिशासन व सुरक्षा	45,800	0	50,500	0	45,000	0	18,000	0	165,100	0
शिक्षा	53,600	13,400	60,600	14,400	27,000	6,000	29,800	7,200	173,200	40,800
प्रजनन, प्रसूता एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य	61,000	0	18,000	0	22,500	0	22,000	0	119,000	0
मलेरिया	3,000	0	3,000	0	3,500	0	3,500	0	13,500	0
एचआईवी/एड्स	26,000	0	11,000	0	0	0	0	0	27,000	0
स्थानीय स्वास्थ्य	8,500	0	8,500	0	10,000	0	7,000	0	34,500	0
जल एवं स्वच्छता	9,000	0	11,000	0	16,500	0	16,000	0	54,000	0
गरीबी, भुखमरी एवं बेसहारापन	30,500	0	30,500	0	21,500	0	20,500	0	104,000	0
मानवीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एनपीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वैश्विक साझेदारियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
कुल	263,900	16,100	225,800	54,200	179,000	101,000	151,800	128,200	818,600	301,400
कुल संसाधन + पूंजी		280,000		280,000		280,000		280,000		1,120,000
आवंटन		280,000		280,000		280,000		280,000		

6. धन का कुशलतम उपयोग (वीएफएम) सुनिश्चित करना

पिछले साल हमने विभिन्न कार्यक्रमों में धन के कुशलतम उपयोग के आयामों का समावेश करने और उसमें सुधार लाने के लिए कदम उठाए थे। इस संबंध में हमने ज्यादा व्यय वाले कार्यक्रमों में ईकाई स्तरीय लागतों से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़ों का संकलन किया था, धन के सही उपयोग के उपायों को लॉगफ्रेम्स में रखा था, कार्यालयव्यापी चर्चाएं आयोजित की थीं और दूसरे राष्ट्रीय कार्यालयों (जैसे नाइजीरिया) के अनुभवों की समीक्षा की थी। डीएफडीआई इंडिया कई सालों से 50 लाख पाउंड्स से कम की सारी खरीददारी स्थानीय स्तर पर करती आई है। धन का कुशलतम इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए हम साझा डीएफआईडी/एफसीओ खरीद ईकाई को एक मुख्य संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे, खासतौर से वहां, जहां हम अनुबंधित तकनीकी सहायता सेवाओं पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय करते हैं।

मुख्य कदम : एक व्यवस्थित और टिकाऊ पद्धति सुनिश्चित करने के लिए हम अक्टूबर 2011 तक एक समग्र लागत वसूली रणनीति व कार्य योजना तैयार कर लेंगे। कॉरपोरेट सेवाओं के प्रमुख इस रणनीति को लागू करने का नेतृत्व करेंगे और उन्हें तीन टीम लीडर्स तथा संयुक्त खरीद ईकाइयों के प्रमुख से मदद मिलेगी। इसके लिए हमारे पोर्टफोलियो के अलग-अलग हिस्सों के अनुसार चुनी गई तीन अलग-अलग वीएफएम पद्धतियों की जरूरत होगी :

- **सहस्राब्दी विकास लक्ष्य :** हम नए कार्यक्रमों का चुनाव व आकलन करने तथा साझेदारों को नीतिगत विकल्प सुझाने के लिए श्रेष्ठतम उपलब्ध साक्ष्यों का प्रयोग करते रहेंगे। हम साझेदार राज्य सरकारों और भारत सरकार के संसाधनों के साथ जारी होने वाले ब्रिटेन के अनुदानों के 'मूल्य संवर्धन' को आंकने के और पुख्ता तरीके विकसित करेंगे तथा ब्रिटेन द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श सेवाओं के विशिष्ट योगदानों के आकलन की व्यवस्था भी करेंगे। जहां भी संभव होगा हम विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता की वीएफएम के साथ तुलना करते रहेंगे। हम साझेदारों के वित्तीय प्रबंधन व धन के सही उपयोग हो ऐसी क्रय-प्रणाली को सहायता देना जारी रखेंगे तथा उत्तरदायित्व व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे ताकि पैसे का ज्यादा कुशल इस्तेमाल हो पाएगा।
- **निजी क्षेत्र :** हम गरीब हितैषी निवेश की लागत वसूली का आकलन करने के लिए एक उचित पद्धति विकसित करेंगे। इसके लिए हम फंड मैनेजर्स एवं फाउंडेशंस में प्रचलित संभावनाशील अच्छे व्यवहारों से भी सीखेंगे। हमारे निवेशों से व्यावसायिक लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ हम परिणामों, उनकी बेहतर माप और उनके कारकों को आंकने के तरीके भी ढूँढ़ेंगे। हम व्यापक स्तर पर अपनी निवेश पद्धतियों की लागतों व लाभों को आंकने की रूपरेखा विकसित करेंगे, व्यापक संवर्धक लाभों और गरीबी से संबंधित संवर्धक लाभों व अप्रत्यक्ष प्रभावों का लेखा-जोखा रखेंगे। निजी क्षेत्र अभिशासन, कुशलता व अनुबंधीय जोखिमों की पड़ताल करना भी इन चेष्टाओं का हिस्सा होगा।
- **वैश्विक एवं नीति :** इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की हमारी पहली चुनौती यह होगी कि ऐसी अभिनव गतिविधियों के लिए कार्मिक समय व आर्थिक संसाधन कैसे आवंटित किए जाएं ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। दूसरी बात, हमें नीतिगत एवं प्रभावित करने से संबंधित गतिविधियों व कार्यक्रमों में धन के कुशलतम उपयोग को तय करने की ठोस पद्धतियां भी तेजी से विकसित करनी होंगी। हमारी आगे की वीएफएम रणनीति व कार्ययोजना निम्नलिखित को भी संबोधित करेगी :
- **वीएफएम और चालू लागतें :** जिनमें एफसीओ के साथ साझा कार्यालय रखने से मिलने वाले लागत लाभों के लिए साझा पद्धति की संभावना, फ्रंटलाइन डिलीवरी हेतु संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग सुनिश्चित करने वाले श्रम शक्ति नियोजन, तथा ऊर्जा लागतों पर निगरानी सहित साल-दर-साल हरित कार्यालय लक्ष्यों की महत्वाकांक्षी योजना को जारी रखना भी शामिल है।
- **परियोजना चक्र प्रबंधन में वीएफएम :** बिजनेस केसेज, लॉगफ्रेम्स, वार्षिक समीक्षाएं, परियोजना समापन रिपोर्ट, मूल्यांकन तथा हमारे कार्यक्रमों व प्रणालियों में परिणाम आधारित अनुबंधों का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हमारे एजेंटों/साझेदारों को वीएफएम का आकलन करने और उसके बारे में रिपोर्टिंग करने का भरोसा मिले।
- **कौशल, व्यवस्था व संरचना** जिससे धन के कुशलतम उपयोग की संस्कृति को संस्थागत रूप व प्रोत्साहन मिले, उदाहरण के लिए, कार्मिक प्रदर्शन प्रबंधन के जरिए।

7. निगरानी व मूल्यांकन

निगरानी

डीएफआईडी, इंडिया की वरिष्ठ प्रबंधन टीम इस योजना में सालाना (फरवरी) **परिणाम फ्रेमवर्क** के आधार पर प्रगति की समीक्षा करेगी। यह काम डीएफआईडी इंडिया रिजल्ट्स टीम और वरिष्ठ परामर्शदाताओं की मदद से किया जाएगा। अगर कुछ खास परिणामों के संबंध में निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो वैकल्पिक आंकड़ा स्रोतों और प्रगति के गुणात्मक आकलनों का सहारा लिया जाएगा। इस योजना को अद्यतन करते समय किसी भी तरह की कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारक कदम उठाए जाएंगे।

नई परियोजनाओं की रूपरेखा तय करते हुए हम आधाररेखा/बेसलाइन तथा निर्णायक संकेतकों पर जोर देंगे और गुणवत्ता आंकड़ा प्रणालियों का प्रयोग करेंगे। जहां भी संभव होगा हम मानक परियोजना संकेतकों का प्रयोग करेंगे। इससे डीएफआईडी इंडिया के भीतर और कॉरपोरेट स्तर पर, दोनों जगह सकल रिपोर्टिंग सुगम होगी। जहां फिलहाल मानक संकेतक नहीं हैं (जैसे निजी क्षेत्र निवेश, अभिनव सेवा डिलीवरी) वहां हम अनुकूल संकेतक विकसित करेंगे और उनका आदान-प्रदान करेंगे।

हम अलग-अलग पोर्टफोलियो से **सबक सीखने** की व्यवस्था को संस्थागत रूप देंगे और इसके आधार पर नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम पिछले तीन साल के दौरान वार्षिक समीक्षाओं के मामले में डीएफआईडी के सौ प्रतिशत समयबद्धता के रिकार्ड को बनाए रखेंगे।

मूल्यांकन

हम पूर्व मूल्यांकन रणनीति विकसित कर रहे हैं। फिलहाल 20 मूल्यांकन नियोजन व क्रियान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। इनमें से 12 प्रभाव आकलन और 8 कार्यक्रम आकलन से संबंधित हैं। कुल मिलाकर हम अपने कार्यक्रम बजट का लगभग 4 प्रतिशत मूल्यांकन पर खर्च करने की योजना रखते हैं जिसमें परियोजनाओं के भीतर चलने वाली मूल्यांकन गतिविधि और मूल्यांकन के पश्चात अध्ययनों, संयुक्त मूल्यांकनों व मूल्यांकन परामर्श सेवाओं के रूप में होने वाले व्यय शामिल हैं। हम:

- मूल्यांकनों की विश्वसनीयता, नैतिक मानक और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन अभिशासन को और पुष्ट करेंगे;
- एट्रीब्यूशन के बेहतर साक्ष्यों, यहाँ तक कि डीएफएम और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा व क्रियान्वयन में समय रहते मूल्यांकन की व्यवस्था का समावेश करेंगे;
- अभिनव डिलीवरी रणनीतियों के लिए साक्ष्य आधार विकसित करेंगे और उसे डीएफआईडी के अन्य हिस्सों में संप्रेषित करेंगे;
- गुणवत्ता प्रभाव मूल्यांकन योग्यता पैदा करने, विनिमय लागतों को कम करने और लागत वसूली में सुधार लाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क समझौता इस्तेमाल करेंगे;
- विश्व बैंक जैसे साझेदारों के साथ हम संयुक्त मूल्यांकन और सहवित्तपोषण की परंपरा को जारी रखेंगे;
- सभी मूल्यांकन उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें और प्रकाशन के योग्य हों, यह सुनिश्चित करने के लिए हम साथी (पीयर) समीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली अपनाएंगे;
- नीतिगत संवाद व तकनीकी सहायता पर डीएफआईडी के कामों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करेंगे।

साझेदारों के साथ काम करना

भारत सरकार और राज्य सरकारें नीति निर्धारण व सार्वजनिक उत्तरदायित्व के सुदृढीकरण के लिए बेहतर सूचना/डेटा स्रोतों और शक्तिशाली साक्ष्यों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। भारत सरकार के आग्रह पर हम स्वतंत्र मूल्यांकन में विशेषज्ञता निर्माण को सहायता देंगे और नीति संबंधी अध्ययनों के लिए अनुदान उपलब्ध कराएंगे। हम टोस व जेंडर विभेदित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में भी मदद देंगे। हम तकनीकी **प्रभाव मूल्यांकन एजेंसियों व अन्य दाताओं** के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान-प्रदान हो और नीति निर्धारण व व्यवहार में टोस साक्ष्यों का प्रयोग किया जा सके। संशोधित लॉगफ्रेम प्रारूप के जरिए हम साझेदार एजेंसियों व नागर समाज संगठनों से और अधिक सहयोग सुनिश्चित करेंगे। उनको अपना निगरानी व मूल्यांकन फ्रेमवर्क सुदृढ करने के लिए भी मदद दी जाएगी।

8. पारदर्शिता

पारदर्शिता ब्रिटिश सरकार की सबसे ऊँची प्राथमिकताओं में से एक है। हम यूके एड ट्रांसपेरेंसी गारंटी के अंतर्गत अपनी इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करते रहेंगे: हम डीएफआईडी परियोजनाओं के बारे में विस्तृत सूचनाएं प्रकाशित करेंगे, जिनमें कार्यक्रम दस्तावेज तथा 500 पाउंड से अधिक के सारे खर्चों की सूचनाएं होंगी। ये सूचनाएं पहुंच के भीतर, तुलना के योग्य, सटीक, समयबद्ध और दूसरी दाताओं संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे साझा मानकों के अनुरूप होंगी। हम उन लोगों को फीडबैक देने का भी मौका देंगे जो हमारी परियोजनाओं से सीधे-सीधे प्रभावित हो रहे हैं।

सार्वजनिक व्यय पर बढ़ रहे दबाव के समय में ब्रिटेन के करदाताओं के सामने बेहतर वीएफएम सुनिश्चित करना और उसको साबित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डीएफआईडी, इंडिया, यूके एड ट्रांसपेरेंसी गारंटी (एटीजी) की सारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। इनमें इंटरनैशनल एड ट्रांसपेरेंसी इनीशिएटिव (आईएटीआई) प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। इनमें शामिल हैं: हमारी परियोजनाओं के बारे में ज्यादा विस्तृत, समयबद्ध और तुलनायोग्य सूचनाओं का प्रकाशन; हमारे कार्यक्रम से प्रभावित लोगों को अपना फीडबैक देने के बेहतर अवसर मुहैया कराना, तथा जिन साझीदारों को हम अनुदान देते हैं उन पर पूर्ण पारदर्शिता के लिए दबाव डालना।

आईएटीआई का हिस्सा होने के नाते हम :

- अपनी वेबसाइट पर साधारण अंग्रेजी में सभी नई परियोजनाओं व कार्यक्रमों का विस्तृत ब्योरा प्रकाशित करेंगे जिनमें साझीदारों के साथ अनुबंध, परियोजना सारांश, लॉगफ्रेम, वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट, परियोजना समापन रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, परिणाम, बजट और 500 पाउंड से ज्यादा के अलग-अलग वित्तीय आदान-प्रदान का ब्योरा होगा।
- हमारी परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों को डीएफआईडी वेबसाइट पर पब्लिक इक्वायरी प्वाइंट, परियोजना वेबसाइट एवं कन्सलटेंट वेबसाइट के जरिए हमारी परियोजनाओं के बारे में फीडबैक देने का मौका दिया जाएगा।
- इस योजना के पाठ व परियोजना सारांशों को हिंदी में प्रकाशित करके इसे भारतीय नागरिकों की पहुंच के भीतर लाया जाएगा।
- बाहरी संचारों में पारदर्शिता संबंधी संदेशों का समावेश किया जाएगा।

डीएफआईडी के बहुपक्षीय साझीदारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे आईएटीआई द्वारा तय किए गए पारदर्शिता मानकों पर हस्ताक्षर करें और उनका पालन करें। डीएफआईडी ने पिछले एक दशक के दौरान भारतीय साझीदारों के साथ काम करते हुए पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की नई पद्धतियों का विकास व विस्तार किया है – इनमें सामाजिक ऑडिट को विस्तार देना (जैसे आंध्र प्रदेश सरकार के साथ) और नागरिक रिपोर्ट कार्ड (जैसे पश्चिम बंगाल शहरी कार्यक्रम) से लेकर भारत के लाखों निर्धनतम लोगों को अपने अधिकारों व लाभों को समझने व उनके लिए आवाज उठाने में मदद देना (जैसे निर्धनतम क्षेत्र नागर समाज कार्यक्रम) शामिल हैं। हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हम निम्नलिखित कदम भी उठाएंगे:

- सूचना प्रौद्योगिकी के ज्यादा कुशल प्रयोग (जैसे बिहार सरकार द्वारा गरीबी योजनाओं की दैनिक एसएमएस रिपोर्ट) को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायित्व संबंधी अभिनव प्रयासों को विस्तार देने, खासतौर से आईटी के जरिए नागरिक समूहों व राज्य सरकारों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे सरकार के प्रदर्शन के बारे में समानांतर बहस हो सके।
- नागर समाज के अपने साझीदारों, निजी क्षेत्र और कंसलटेंट संगठनों के साथ काम किया जाएगा और उन्हें इंटरनैशनल एड ट्रांसपेरेंसी इनीशिएटिव (आईएटीआई) के अनुरूप पारदर्शिता मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हम पारदर्शिता मानकों पर साझीदारों के साथ एक अनुबंध करेंगे ताकि हमारे साझीदार ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करा सकें जो उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। यह अनुबंध अप्रैल 2011 से शुरू होने वाले सभी नए अनुदान अनुबंधों में एक अनुच्छेद के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र अभिशासन व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।